पत्रांक सं0/Letter No. 2804/2023 दिनांक/Date: 14th September, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष /मंत्री,
समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।

महोदय,

पत्र के साथ माननीय श्री शिव किशोर गौड़, अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा आपको सम्बोधित पत्र दिनांकित 14.09.2023 की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय

(दीपक चतुर्वेदी)
कार्यालय अधीक्षक

नोटः– कार्यालय जिला जज/जिलाधिकारी समस्त जनपद को इस अनुरोध को साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति जिले एवं तहसील के बार संघों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH
(A Statutory Body constituted under the Advocates Act, 1961)
19, Maharshi Dayanand Marg, Prayagraj
Camp Office: R6/20, Vipul Khand, Gomti Nagar, Lucknow
Website: www.upbarcouncil.com E-mail: uttarpradeshbarcouncil@gmail.com

SHIV KISHOR GAUR
Chairman
Mobile No. 9917229999
Email: skishorgaur@gmail.com

पत्रांक सं0/Letter No..................
दिनांक/Date: 14th September, 2023

सेवा में,
अध्यक्ष /मंत्री,
समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।

महोदय,

हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ–साथ महिला व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा बरबरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा उक्त लाठीचार्ज में काफी अधिवक्ता घायल हुए है। उक्त प्रकरण से न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।

उक्त संदर्भ में आज दिनांक 14.09.2023 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मण्डल मिला। प्रतिनिधि मण्डल में माननीय उपाध्यक्ष श्री अनुराग पाण्डेय, श्री पांचू राम मौर्या, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अमरेन्द्र नाथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अजय कुमार शुक्ला, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री जानकी शरण पाण्डेय, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री देवेन्द्र मिश्र नगरहा, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अखिलेश कुमार अवस्थी, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अंकज मिश्रा, सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष, श्री जे0एन0 पाण्डेय, सदस्य–सचिव व पूर्व उपाध्यक्ष, श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष, श्री प्रशान्त सिंह अटल, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री परेश मिश्रा, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित थे।

मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान माननीय अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ द्वारा सरकार से हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण के दोषी आला–अधिकारियों व दोषी पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित/ स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया। आन्दोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस (स्पंज्ड) कराने का, घायल/चोटिल अधिवक्ताओं को सरकार से मुआवजा दिलाने व एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को प्रदेश में लागू कराने के लिए अनुरोध किया गया।

राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश

BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH

(A Statutory Body constituted under the Advocates Act, 1961)

19, Maharshi Dayanand Marg, Prayagraj
Camp Office: R6/20, Vipul Khand, Gomti Nagar, Lucknow
Website: www.upbarcouncil.com E-mail: uttarpradeshbarcouncil@gmail.com

SHIV KISHOR GAUR
Chairman
Mobile No. 9917229999
Email: skishorgaur@gmail.com

पत्रांक सं0/Letter No..................
दिनांक/Date: 14th September, 2023

वार्ता के दौरान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश की उपरोक्त सभी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया तथा कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों/आलाधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। आन्दोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। घायल/चोटिल अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा तथा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन व प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 15.09.2023 से अधिवक्तागण सुचारू रूप से शान्तिपूर्ण ढंग से न्यायिक कार्य करना प्रारम्भ करें।

दिनांकः 14.09.2023

भवदीय

शिव किशोर गौड़,
अध्यक्ष, बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश।